दिनांक 17.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 26/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद इटावा/थाना वैदपुरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये व 10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16/17.11.2024 को थाना वैदपुर व थाना चौबिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला बाबा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में थानाध्यक्ष वैदपुरा घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शिवमंगल उर्फ बॉबी 2–सुमित उर्फ विवेक उर्फ सोनू घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–मोहित सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 06 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त 1–शिवमंगल उर्फ बॉबी के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त सुमित उर्फ विवेक उर्फ सोनू के विरूद्ध जनपद इटावा, कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग एवं अभियुक्त मोहित के विरूद्ध जनपद इटावा, फिरोजाबाद व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न

थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त शिवमंगल उर्फ बॉबी थाना वेदपुरा एवं अभियुक्त मोहित थाना चौबिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनमें अभियुक्त शिवमंगल उर्फ बॉबी की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार एवं अभियुक्त मोहित की गिरफ्तारी हेतु 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवमंगल उर्फ बॉबी निवासी भैंसरई थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

2–सुमित उर्फ विवेक उर्फ सोनू निवासी नगला हरनाथ थाना सैफई जनपद इटावा, हालपता विराट मार्केट गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ।

3–मोहित निवासी चमरौआ थाना चौबिया जनपद इटावा।

बरामदगी

1–06 हजार रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–02 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लोहता

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध पिस्टल 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2024 को थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वीरसिंहपुर वरूणा पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को

रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—महेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर दयापुर नकई बार्डर के पास से अभियुक्त 2—अभिषेक 3—जयहिन्द उर्फ अजगर 4—कौशल 5—अर्जुन उर्फ दयालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में लूट के सोने—चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध पिस्टल 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.11.2024 को थाना लोहता क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लोहता पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लोहता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महेश निवासी ग्राम कोरउत थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

2—अभिषेक निवासी परमपुर थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी।

3—जयहिन्द उर्फ अजगर निवासी परमपुर थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी।

4—कौशल निवासी परमपुर थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी।

5—अर्जुन उर्फ दयालू निवासी ग्राम कोरउत थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1—भारी मात्रा में लूट के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध पिस्टल 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कासगंज/थाना सोरों

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2024 को थाना सोरों व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अल्लीपुर बरबारा रोड़ पर ग्राम सराय ठेला के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सोहेल 2–शहनवाज उर्फ परवेज घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–तालिव सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोहेल के विरूद्ध जनपद कासगंज, बदायूँ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त शहनवाज उर्फ परवेज के विरूद्ध जनपद बदायूँ, कासगंज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सोरों पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोहेल निवासी पठान टोला नई बस्ती कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूँ।

2–शहनवाज उर्फ परवेज निवासी पठान टोला नई बस्ती कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूँ।

3–तालिव निवासी मो0काजी कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद कासगंज/थाना पटियाली

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 ईको व 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2024 को थाना पटियाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला मानसिंह के जंगल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–साहिबे आलम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–मोहम्मद हसन 3–काले सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन, 01 ईको व 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना पटियाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–साहिबे आलम निवासी ग्राम फगनौल थाना जैथरा जनपद एटा, हालपता मोहल्ला हसन थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज।

2–मोहम्मद हसन निवासी मोहल्ला हसन थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज।

3–काले निवासी मोहल्ला हसन थोक कस्बा भरगैन थाना पटियाली जनपद कासगंज।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 ईको व 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2024 को थाना कोतवाली उरई थाना आटा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झाँसी–कानपुर हाईवे वन विभाग नर्सरी के पास से 05 अभियुक्तों 1–प्रवेश उर्फ छोटू 2–सुर्याश उर्फ सूर्या 3–आकाश 4–राहुल 5–अनूप कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद जालौन, झाँसी के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवेश उर्फ छोटू निवासी कहराह थाना आटा जनपद जालौन।

2–सुर्याश उर्फ सूर्या निवासी खरका थाना डकोर जनपद जालौन।

3–आकाश निवासी सुनहाटा थाना आटा जनपद जालौन।

4–राहुल निवासी चुर्खीबाईपास थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

5–अनूप कुमार निवासी चुर्खीबाईपास थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 कुन्तल 01 किलो 960 ग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.11.2024 की रात्रि थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम चितांग के पास से 02 अभियुक्तों 1– राधाराम

2—राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 कुन्तल 01 किलो 960 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राधाराम निवासी मेवली थाना पकड़ी जनपद बलिया।

2—राजकुमार निवासी जनौपुर थाना गड़वार जनपद बलिया।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 कुन्तल 01 किलो 960 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक वाहन आदि।

एसटीएफ—अपहरण करके हत्या की घटना में वांछित रूपये 1,00,000/ का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीर सिंह गिरफ्तार।

दिनांक 17—11—2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को अपहरण कर जान से मारने की घटना के सम्बन्ध में थाना जरिया, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2024 धारा 140(1)/109/ 352/351(2)/ 351(3)/103(1) बीएनएस में वांछित रूपये 1,00,000/ का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीर सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— वीर सिंह पुत्र राम प्रसाद निवासी जरिरायपुर, थाना राजपुर, जनपद—कानपुर देहात।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः—

ग्राम जरिरायपुर, थाना क्षेत्र राजपुर जनपद कानपुर देहात। दिनांक 17—11—2024 समय 14.20 बजे

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। श्री दिनेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलित की जा रही थी।

उ0नि अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 अमित कुमार सिंह, आलोक पाण्डेय, स्वरूप पाण्डेय कमाण्डो राममगन की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद कानपुर देहात में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 21–09–2024 को जनपद हमीरपुर में अपहरण करके हत्या की घटना में शामिल रू0 एक लाख का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीर सिंह वांछित चल रहा है, जो अपने गॉव आने वाला है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा ग्राम जरिरायपुर, थाना क्षेत्र राजपुर जनपद कानपुर देहात से वांछित अभियुक्त वीर सिंह को आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि इसके साथी चतुर सिंह उर्फ चतुरभुज सिंह को धर्मेन्द्र यादव ने अपनी बहन श्रीमती अमन की हत्या करने के लिए 10 लाख रूपये दिया था। इसके उपरान्त चतुर सिंह ने इसे घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया, जिसके एवज में 02 लाख रूपये इसे मिलना था। चतुर सिंह, वीर सिंह व कल्लू यादव ने मिलकर श्रीमती अमन का उसके 02 बच्चों के साथ अपहरण कर लिया था। जिसके बाद श्रीमती अमन की हत्या कर दिये तथा उसके दोनो बच्चो को जंगल मे फेक दिये थे। इस घटना के उपरान्त इधर उधर छिपकर रह रहा था। उक्त घटना के मुख्य साजिशकर्ता एवं एक लाख रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त चतुर सिंह उर्फ चतुरभुज सिंह को दिनांक 14–11–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना जरिया, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2024 धारा 140(1)/109/352/351(2)/ 351(3)/103(1) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त वीर सिंह का ज्ञात अपराधिक इतिहास–</u>

1 मु0अ0सं0 79/2003 धारा 324, 506 भादवि थाना राजपुर कानपुर देहात।

2 मु0अ0सं0 80/2003 धारा 307 भादवि थाना राजपुर कानपुर देहात।

3 मु0अ0सं0 81/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर कानपुर देहात।

4 मु0अ0सं0 10/2005 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर कानपुर देहात।

5 मु0अ0सं0 229/2017 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 427, 436 भादवि थाना राजपुर कानपुर देहात।

————